

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-1/विपिन कुमार जैन/2020/20 दिनांक 05.10.2020 द्वारा श्री विपिन कुमार जैन से.नि. व्या. अंग्रेजी (आरवीआरईएस) श्री महावीर उमावि, लाडनूं, नागौर को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 17820/2019 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर के आवेदन संख्या 1092/2012 द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांक 13.12.2017 के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग के पत्र क्रमांक: प. 19(96)माध्य/शिक्षा-2/वि0प0/2019 जयपुर, दिनांक 28.08.2019 द्वारा रिट दायर नहीं किए जाने का निर्णय लिए जाने के कारण 10 वर्षीय 00वे0 दि. 01.07.1998 से तथा 8 वर्षीय 00वे0 दि. 01.07.2006 से स्वीकृत किया गया।

उक्त आदेश में उल्लेखित आदेश प्रभावीकरण की तिथि 19.12.2005 के स्थान पर 28.05.2002, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(74)शिक्षा -5/91 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2007 के आधार पर संशोधन पढ़ा जावे।

शेष मूल आदेशानुसार यथावत रहेगा।



क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/विपिन कुमार जैन/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक श्री विपिन कुमार जैन
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, बीकानेर
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक - 03/03/2022

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-3/ववेमा/वो-11/2009/18 दिनांक 05.10.2020 द्वारा श्री बहादुर सिंह से.नि. व्या. भौतिक विज्ञान (आरवीआरईएस) सेठ फ.लो.राउमावि, रोडू नागौर को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 17820/2019 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर के आवेदन संख्या 1091/2012 द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांक 13.12.2017 के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग के पत्र क्रमांक: प. 19(96)माध्य/शिक्षा-2/वि0प0/2019 जयपुर, दिनांक 28.08.2019 द्वारा रिट दायर नहीं किए जाने का निर्णय लिए जाने के कारण 10 वर्षीय व0वे0 दि. 01.07.1998 से तथा 8 वर्षीय च0वे0 दि. 01.07.2006 से स्वीकृत किया गया।

उक्त आदेश में उल्लेखित आदेश प्रभावीकरण की तिथि 19.12.2005 के स्थान पर 28.05.2002, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(74)शिक्षा -5/91 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2007 के आधार पर संशोधन पढ़ा जावे।

शेष मूल आदेशानुसार यथावत रहेगा।

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/विपिन कुमार जैन/2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक श्री विपिन कुमार जैन
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक :- 03/03/2022

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर